BIHAR SHODH SAMAAGAM, VOL. 2, ISSUE 1, p.p 5-9
(2024)

वर्तमान परिदृश्य में बिहार की महिलाओं की बढ़ती सहभागिता का एक अध्ययन

कुसूम कुमारी

सारांश :–

बिहार में प्राचीन काल से ही नारी की समाज में एक विशिष्ट स्थिति रही है। इतिहास साक्षी है जब–जब स्त्री को आगे बढ़ने के अवसर मिले तब–तब उसने गहराई के साथ समाज के बुनियादी सामाजिक और आर्थिक ढाँचे को प्रभावित किया और अपनी सशक्त उपस्थिति का परिचय देते हुए समाज और राज्य–निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। वर्ष 2205 के उपरांत बिहार में महिलाओं ने अपनी सभी दुर्बलताओं को दूर करके खुद को मजबूत किया है इसमें वह पिछले 15 वर्षों में वह कामयाब भी हुई है। नारी–शक्ति सृजन, समन्वय व सौन्दर्य का दूसरा नाम है। स्वंय की शक्ति को संगठित कर सशक्त होती आज की नारी जो दायित्व निर्वाह में आगे रहकर अपने बुद्धि कौशल के बल पर सारे जहाँ को जीतने की क्षमता रखती है। जो तोड़ना चाहती है बंदिशो को और लहराना चाहती है जीत का परचम धरती, आसमान और सागर में। अपने हर सपने को आकार देकर उसमें यथार्थ का, कामयाबी का रंग भरना चाहती है। हमारे भारतीय समाज की मूल धुरी नारी ही है। किसी भी देश एंव उनके राज्यों की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रशासन में महिलाओं की वह भूमिका है जो शरीर में दौड़ने वाली रक्त धारा की होती है। किसी भी राज्य अथवा समाज को जानने समझने का कार्य तब तक पूरा नही किया जा सकता है जब तक कि महिलाओं की प्रस्थिति एंव उनकी सहभागिता पर विचार न कर लिया जाये। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक बढ़ती सहभागिता को देखते हुए, यह कहा जा सकता हैं, कि ये निरंतर दिन–प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे है। अगर महिलाओं को प्रशासनिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान किया जायें तो आसमान में उड़ान भरने की क्षमता रखती हैं। अपितु अवसरों की सीमितता के बावजूद वे नित नये आयाम गढ़ रही है।

मुख्य शब्द :– प्रशासनिक, आयाम, चेतना, सशक्त, उभरना, सामाजिक, भूमिका, सहभागिता

बिहार में महिलाओं की प्रशासनिक भागीदारी का समीक्षात्मक अध्ययन :–

भारत एक विकासशील देश है। जो भी योजना क्रियान्वयण करना चाहती है, तो उसे वह प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करती है। प्रशासनिक तंत्र में महिलाओं की भागीदारी भी अतिआवश्यक है। लेकिन जैसे ही हम उत्तर भारत की ओर रूख करते हैं, तो वहां महिलाओं की भागीदारी अन्य राज्यों की तुलना में कम या उपेक्षित पाते है। उत्तर भारत में हम बिहार जैसे पिछड़े राज्य की बात करें तो यहां पर महिलाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी काफी नगण्य है। तथापि हाल के वर्षो में राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं की भागिदारी को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किये है, तथापि उनकी सहभागिता पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित ही देखी जा सकती हैं।

विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ महिलाओं की अनुपस्थिति में सामाजिक–आर्थिक विकास सम्भव हुआ हो। समाज को विकसित और प्रभावी बनाने के लिए समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होना अनिवार्य है। महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़े बिना किसी समाज, राज्य एवं देश के आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज अनवरत संघर्ष के जरिये महिलाओं ने सत्ता के उच्चतम स्तर तक पहुँच कर अपने को प्रमाणित किया है। बिहार एक गौरवशाली अतीत वाला राज्य है। अनेक शताब्दियों तक यह शक्ति, शिक्षा एवं संस्कृति का महान केन्द्र रहा है। यह राज्य प्राचीन मगध साम्राज्य का केन्द्र, नंद, मौर्य एवं गुप्त आदि महान वंशों की राज्यस्थली तथा चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, और अशोक एवं समुद्रगुप्त आदि महान शासकों की कर्मभूमि रहा हैं। सभी शासकों ने प्रशासिनक सहभागिता एवं उत्तरदायित्व में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चत करने का हर संभव या अप्रत्यक्ष प्रयास किये है।

आज बिहार में महिलाओं का सफर चुनौती भरा जरूर हैं, परंतु उसमे प्रत्येक चुनौती से लड़ने का साहस आ गया है। उसमें आत्मविश्वास आ गया है, जिसके बल पर वह दुनिया में अपनी पृथक पहचान बना रही है। इस पहचान को स्थापित करने में प्रशासनिक सेवा सबसे उपयुक्त और सरल है। आज

कुसूम कुमारी
शोद्यार्थी
मधेपुरा विश्वविद्यालय, मधेपुरा

बिहार की महिलाएँ घर–परिवार एंव कैरियर में तालमेल बनाया सीख गयी है। अपने कौशल एएवं काबिलियत के बल पर आज स्त्री हर मोड़ पर और समाज के प्रत्येक क्षेत्र खासकर प्राशसनिक जगत में अपनी अदम्य क्षमता और परिपक्वता का परिचय दे रही है। विश्व के प्रायः सभी महान देशों में आजकल महिलाएँ पुरूषों से कंधे–से–कंधा मिलाकर राष्ट्र–निर्माण के कार्य में संलग्न है। बिहार में एक दशक से महिलाओं ने अपनी कार्यकुशलता, योग्यता तथा लगनशीलता के कारण पुरूषों से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। दृढ़ता, साहस, लगन एंव सूझबूझ के कारण उन्होंने अपने कदम प्रशासनिक क्षेत्रों में रखने का प्रयास जारी कर दिया है। आज के प्रशासनिक प्रधान युग में महिलाएँ कार्यरत होकर अपनी भूमिका को प्रभावी बना रही है। वे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। इससे राज्य के विकास की गति में अपेक्षित सुधार हुआ है। विचारणीय है कि महिलाओं की सहभागिता को जितना सुगम कीया जा रहा हैं, इससे इनके अवसर और सरल हुए है। बिहार के परिपेक्ष्य वर्तमान के तनावपूर्ण युग में बिहार के महिलाओं ने घर–परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को लगन व निष्ठा से निभा रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक सेवा और घर के कार्यो में संतुलन व सामंजस्य स्थापित कर स्वस्थ सामाजिक संबंधो की स्थापना हेतु प्रयत्नशील है। जैसा कि विदित हैं कि नारियों का संपूर्ण जीवन एक धागे में पिरोये हुए मोतियों के समान होता है। प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उसे संघर्ष एवं कई समझोते करने पड़ते हैं, जैसे कि परिवार, समाज व कार्यरत संस्था जहाँ उसे सामंजस्य बिठाना होता है, कई मुखौटे पहनने होते है। सदियों से नारी समानता, आत्मसम्मान, एंव स्वअस्तित्व के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है, तथापि हाल के वर्षो में महिलाओं ने सरकारी सेवा में अपनी पहचान बनाई है। बिहार में औसतन एक स्त्री एक पुरूष की तुलना में रोजाना एक घंटा ज्यादा काम करती है। पर उसको काम के लिए पैसे नहीं मिलते हैं इसलिए अक्सर उसके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। इस पहलू को बदलने के लिए महिलाओं को अधिक से अधिक सरकारी सेवा में सुअवसर प्रदान करना होगा। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है, कि समाज की मानसिकता विशेष रूप से स्वंय महिलाओं की मानसिकता में परिवर्तन लाया जाए। भारतीय संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का दर्जा देता है। बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकरात्मक रूख अपनाने के उपायों के लिए सरकार को सशक्त भी बनाता है। बिहार राज्य सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नती के उद्देश्य से विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ, कार्यक्रम, और कानून भी कार्यान्वित किया है। आज देश में 12 फिसदी से अधिक महिलाएँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को सुशोभित करके अपने दायित्व का निर्वाहन भली–भाँती कर रही हैं। यहां ध्यान देने योग्य बात हैं कि अमेरिका में 10 फिसदी ब्रिटेन जेसे विकसित देश में यह आँकड़ा महज 3 फीसदी हैं। यद्यपि आई.ए.एस. के परीक्षा में बैठने वाली महिलाओं की सफलता दर बढ़ती जा रही है लेकिन इस सेवा में आने वाली महिलाओं की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आई.ए.एस. में 1974 तक 8.8 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी थी जो की वर्तमान में 12 प्रतिशत से अधिक हो गई है। साथ ही महिलाएँ न्यायधीश 7 फीसदी और भारतीय पुलिस सेवा में 5 फीसदी है।

राष्ट्र की आधी आबादी अर्थात महिलाएँ अब स्वालबंन की ओर अग्रसर है और स्वालंवन से ही समाज का विकास संभव है। दूसरे शब्दों में कहा जाये तो आबादी में महिलाओं का हिस्सा लगभग 50 प्रतिशत है। और 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारीं के बिना देश और राज्य का सतत विकास संभव नही है। देश और राज्य के विकास में महिलाओं का योगदान हैं, और भारत एक ऐसा देश है, जहाँ महिलाओं को विशेष दर्जा, व आदर दिया जाता है। महिलाओं ने देश के सभी प्रकार की उपलब्धियाँ हासिल की हैं, उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विभिन्न प्रसानिक सेवाओं के अन्य शीर्श पद प्राप्त हुये हैं। पुलिस बल में महिलाओं की प्रतिनिधित्व को सही दिशा प्रदान करने के लिए बिहार राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कई प्रयास निरंतर किये जा रहे है। महिलाओं की प्रशासनिक सहभागिता को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास निरंतर किया जाना चाहिए। बिहार में जो विकास प्रक्रि या एक दशक से कुछ पहले शुरू हुई थी अभी निरंतर जारी है। हाल के वर्षो में बिहार ने पूरे देश में , यहां तक विदेश में भी विकास के मोर्चे पर अपनी उल्लेखनीय प्रगति को लेकर ध्यान आकर्षित किया है। बिहार एक ऐसा राज्य जो लंबे सयम तक गतिरूद्वता से पीड़ित रहा और जिसने अपने लगातार पिछड़ापन को अपना नियती मान बैठा था, वह ऐतिहासिक मोड़ था जिसके कारण नये सिरे से आशाएं और आकांक्षाएं पैदा हुई। ये बदलाव विकास के ऐसे एजेंडा के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण हुई जिसमें उसने महिलाओं की प्रशासनिक सहभागिता

और उनके योगदान को सुनिश्चित करने का हर प्रसास लगातार कर रही है। इस एंजेडो को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग ही नहीं किया, प्रशासन तंत्र को भी मजबूत किया और अनेक संस्थागत सुधार लागू किये। इसके परिणाम साफ दिखाते हैं कि राज्य की प्रशासनिक विकास की प्रक्रिया महज अल्पकालिक न होकर दीर्घकालीन स्थायी सहभागिता की प्रक्रिया की शुरूआत हुई। बेटियाँ परिवार ही नहीं, समाज, देश व दुनिया के भी सुनहरे भविष्य की गंगोत्री है। इसलिए समाज और परिवाम में बेटियों के प्रति सम्मान का भाव जाग्रित होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विद्यालय एवं महाविद्यालय में पढ़ रही बेटियों से कुछ मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, किरण बेदी, कल्पना चावला, सीमा दास आदि बनकर नयी रौशनी बिखरेंगी तो कुछ प्रशासनिक सेवा में जाकर अपने अनुभव से देश एवं राज्य को गौरवान्वित करेंगे। महिलाओं का प्रशासनिक सेवाओं में विशेष तौर पर उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भावी महिलाएं आने वाली पीढ़ियों की जननी होने के नाते हमारे राज्य के विकास की मजबूत नींव डालेंगी तथा हमारे देश का उत्थान करेंगी। समाज के साथ–साथ एक राष्ट्र को भी शिक्षित बनाते हैं। यदि हम अपने राष्ट्र को उँचा उठाना चाहते हैं तो हमें महिलाओं को प्रशासनिक सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराकर सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। महिलाओं की सहभागिता उसे मानसिक रूप से भी सशक्त बनाता है। महिलाओं की पूर्ण सहभागिता से लड़के व लड़की के बीच का भेद मिटाना होगा।

महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय कई प्रयास किये जा रहे हैं। देश और दुनिया में बेटियों को बचाने की दिशा में भरकस प्रयास हो रहे है। देश में लगातार कम होता लिंगानुपात समाज एवं सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन अभी हमारा समाज जन्म के आधार पर खेलों का निर्धारण करते हुए बेटी को गुड़िया और बेटा को क्रिकेट बैट का निर्धारण कर लेता है। ानसिकता में बदलवा में लाकर हीं लिंगभेद को दूर किया जा सकता है। बेटियों की संख्या में लगातार हो रही कमी का समाज को खतरनाक परिणाम भुगतना होगा। महिलाएँ, शिक्षक, गणमान्य, नागरिक, सामाजिक कार्यकर्त्ता आदि समाज में बेटियों के प्रति समारात्मक सोच पैदा कर धारणा को समाप्त करने में अपनी अह्म भूमिका निभा सकती हैं। बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चत करने का प्रसास हाल के वर्षो में किया गया वो काबिले तारिफ है। तथापि देश में बाल लिंगानुपात में बना असंतुलन राष्ट्रीय शर्म का विषय है। समाज में व्याप्त कुछ पीढ़ीगत कुरीतियाँ, परिवारों में लड़के की चाह, बच्चियों के जन्म लेने के अधिकार और उन्हें पढ़ाई के अवसर देने से वंचित कर रही है। हमें लड़कियों को पराया धन मानने की मानसिकता को बदलनी होगी। समाज, राज्य और देश में महिलाओं की स्थिति जितनी मजबूत होगी, समाज उतना ही विकसित और प्रभावपूर्ण होगा, क्योंकि महिलाएँ समाज की जनशक्ति व मूल आधार हैं।

लिंग अनुपात एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक हैं, जो किसी भी समाज में स्त्री और पुरूष की बीच प्रचलित समानता और अवसर को एक निश्चित बिन्दु पर मापता है। देश में लिंगानुपात हमेशा से चिंता का विषय रहा है। किसी क्षेत्र में प्रति 1,000 पुरूषों पर महिलाओं की कुल संख्या लिंगानुपात कहलाती है। जनसंख्या के विभिन्न वर्ग, आयु समूहों प्रदेशों के संदर्भो में भी लिंगानुपात में व्यापक अन्तर पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात 949, शहरी लिंगानुपात 929 है। ग्रामीण एंव शहरी लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में दोनों की दृष्टि से केरल का स्थान प्रथम क्रमशः 1078 एंव 1091 है। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला राज्य जम्मू–कश्मीर 840, एंव न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा 880, हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह हैं कि शहरी क्षेत्र अधिक लिंगानुपात का प्रमुख कारण गाँवों से शहरों की ओर पुरूषों का होने वाला पलायन होता है। भारत में राज्य स्तर पर लिंगानुपात में व्यापक भिन्नताएँ पायी जाती है। जहाँ केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात 1084, है, वहीं हरियाणा में यह न्यूनतम 877, है। राज्यों में केन्द्रशासित प्रदेशों पर समग्र रूप से विचार करे तो न्यूनतम लिंगानुपात दमन व दीव में सिर्फ 618 का है। केन्द्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पुदुचेरी 1037, का है। तमिलनाडु 995, आन्ध्र प्रदेश 992, छत्तीसगढ़ 991, मणिपुर 992, मेधालय 986, एसे राज्य हैं जो सन्तुलित लिंगानुपता की ओर अग्रसर है। बिहार की दृष्टि से देखे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज 1021, हैं जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876, है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात 921, वही नगरीय क्षेत्र में 895 है। देश के 16 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तर भारत में

केवल हिमाचत प्रदेशों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। उत्तर भारत में केवल हिमाचल प्रदेश 972 और उत्तराखण्ड 963, दो ऐसे राज्य हैं, जिनका राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके विपरीत मध्य भारत के सभी राज्यो एंव केन्द्रशासित प्रदेशों में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। अब हम उपर्युक्त विवरण के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत में दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम की ओर लिंगानुपात में गिरावट देखी जा सकती है।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिंगानुपात को देखा जाए तो सदैव 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या कम ही रही है। अर्थात लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरूषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात होता है। 1901 से 2011 के बीच लिंगानुपात पर दृष्टि डालें तो इस उतार–चढ़ाव आते रहे हैं, परन्तु कोई विशेष परिवर्तन नही आया है। धर्म विशेष में महिलाओं का अनुपात अध्यन करने से यह स्पस्ट हो जाता हैं कि विशेष संतोषजनक आंकड़ा नही है। अतः हम कह देख सकते हैं कि बालिकाओं को अपर्याप्त पोषक, आहार, सीमित समयावधि की पढाई या फिर उससे वंचित रखना, बाल मजदूरी तथा घरेलू हिंसा जैसे भेदभाव एंव उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इससे भी बद्तर बात यह है कि घटता लिंगानुपात महिलाओं के प्रति सबसे घृणित हिंसाओं में एक हैं जो लिंग निर्धारण को जन्म देता है।

अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, कोरिया व दक्षिण अफ्रिका जैसे आर्थिक रूप से सम्पन्न तमाम देशों में महिलाओं की आबादी पुरूषों से ज्यादा हैं। रूस में तो प्रति 1000 पुरूष पर महिलाओं की संख्या 1165 हैं। लिहाजा सार्थक विकास के लिए महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कराना चाहिए। कानून बनाने भर से स्थिति नहीं बदलती है, वास्तविक पटल पर जबतक इनकी सहभागिता को सरल और सहज बनाने का प्रयास नहीं करते है। राज्य और देश की प्रगति में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना और सराहना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सशक्त बनाकर ही उनके खिलाफ भेदभाव को कम किया जा सकता है। महिलाओं की सहभागिता को पूर्ण रूप से संजीवनी रूप प्रदान करने के लिए हमें उसे इस लायक बनाया जाना चाहिए कि वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान और शक्ति को महसूस कर सकें। जब हम इन महिलाओं को प्रशासनिक क्षेत्र में मौका दिए हैं तो यह देश समाज और परिवार का नाम रौशन किया है। अगर हम भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात करें तो देश में तैनात 5205 आईएएस अधिकारियों में 4179 पुरूष हैं और 1026 महिलाएं। इज लिहाज से महिलाओं की सहभागिता 19.71 फिसदी है। 1972 से लेकर अबतक यूपीएएसी की 38 परीक्षाओं के नतीजे जारी हुए हैं। इसमें सिर्फ 12 परीक्षाएं ही ऐसी रही हैं, जिनमें महिलाएं रैंक बन पाने में सफल रही है। 1972 से 1997 ते हुई 16 पीरक्षाओं में एक में महिला टॉपर रही। लेकिन 1998 से 2020 तक हुई 22 परीक्षाओं में 11 बार महिलाओं ने यूपीएएसी टॉप किया है। इकसे अलावा 1999 से 2018 के बीच 11 लड़कियां ऐसी रही, जिन्होने पहले प्रयास में ही यूपएएसी की परीक्षा पास कर 20 में स्थान बनाया। देश में मौजूद आईएएस अधिकारियों के मामले में यूपी के बाद बिहार का ही नंबर आता है। कुल 5205 आईएएस में 422 बिहार से है। इसमें सिर्फ 37 महिलाएं हैं। बिहार से निकले आईएएस अधिकारियों में महिलाओं की उपस्थिति सिर्फ 8.76 प्रतिशत हैं। देश की 1026 महिला आईएएस में बिहार की महिलाओं का प्रतिशत सिर्फ 3.60 है। महिला आईएएस में बिहार का स्थान 11 वां है। वर्ष 2016 में बिहार में महिलाओं के लिए सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत सिटें आरक्षित की गई है। वर्ष 2015 में जो महिलाओं बिहार प्रशासनिक सेवा में मात्र 8.46 प्रतिशत आवेदन की थी, जो बढ़कर वर्ष 2018 में 25.06 प्रतिशत हो गई। बिहार में महिलाओं प्रतिष्ठानों की भागादारी काफी नगण्य है। प्रथम स्थान में तमिलनाडु 13.51 प्रतिशत के साथ हैं, वहीं बिहार की भागीदारी मात्र 1.91 प्रतिशत मात्र है। तथापि हाल के वर्षो में बिहार में महिलाओं के भागीदारी के कई अवसरों को सृजन किया गया हैं। आज बिहार में महिलाएं अपने लक्ष्यों एंव प्राथमिकताओं को निर्धारण करने का समान अवसर उपलब्ध कराना और उनके सपनों को भी उड़ान देना, आज हमारी पहली चुनौती बनकर उभरी है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि हमें प्रगति एवं विकाय के नये आयाम स्थापित करने हैं, तो कई चुनोतियों का सामना करने को तैयार रहना होगा। आज की महिलाएँ उत्तरोत्तर विकास, राज्य ,देश की गति एंव सामाजिक परिवर्तन का सुनहरा अध्याय रच रही है।

उपसंहार :–

आज महिलाएं को अधिकारों और उनके उत्तरदायित्व को सशक्त बनाना होगा। महिलाओं को समता, समानता, गरिमा व क्षमताओं के साथ विकास में बराबर की भागीदारी बनाने के लिए सभी को अपनी ओर से प्रतिबद्व होना होगा, तभी जाकर

महिला अपने प्रशासनिक सशक्तिकरण का सपना पूर्ण कर सकती है। समता, समानता, गरिमा व क्षमताओं के साथ आज बिहार में महिलाओं को विकास की मुख्य–धारा से जोड़ना ही हम लोगों का नैतिक दायित्व व नैसर्गिक जिम्मेदारी है। फलतः महिला की भागीदारी को सुनिश्चि करने के लिए सशक्तिकरण के बहुआयाम महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व व सवार्गीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी अपेक्षाएँ है। आज बिहार में राज्य सरकार के साकारात्मक माहौल में उसने संकीर्ण विचारधारा को त्याग कर अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कर लिया है इससे उसकी उपलब्धियाँ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बढी है ओर उत्साह भी। आज वह स्वंय को सामाजिक पहल पर दृढ़ता के साथ स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है और उसकी कोशिशें रंग ला भी रही है।

संदर्भ सूची :–

1. मेलिंडा गेट्स, महिलाओं के सशक्तिकरण से दुनिया कैसे बदल सकती है, पृ. 45–46

2. डॉ. के. एम. मालती, स्त्री विमर्श : भारतीय परिपेक्ष्य, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 167–168

3. डॉ. सुधा बालकृष्णन, नारी : अस्तित्व की पहचान, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 78–79

4. ममता कालिया, भविष्य का स्त्री विमर्श, वाणी प्रकाश, नई दिल्ली, पृ. 110–111

5. ममता जैतली, श्रीप्रकाश शर्मा, आधी आबादी का संघर्ष, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 254–255

6. चतुर्वेदी गीताः वीमेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ इंडिया, जयपुर प्रकाशन, 1986, पृ. 76–77

7. चौधरी, प्रसन्न कुमार एवं श्रीकांतः बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014 पृ. 114–115

8. झा, पंकज कुमारः सुशासन के आईने में नया बिहार, प्रभात प्रकाशन, बारी रोड, नया टोला, पटना, 2018 पृ. 46–47

9. कुमार, मनीषः महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा, नई दिल्ली, 2006, पृ. 66–67

10. कोठारी, रजनीः स्टेट अगेस्ट डेमोक्रेसी, इन सर्च ऑफ ह्यूमन गर्वनेंस अजंता, दिल्ली, 1998, पृ. 154–155

11. द्विवेदी रमेश प्रसादः भारत में जेण्डर बजट महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम, भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष–पंचम, अंक–द्वितीय, अगस्त–सितम्बर, 2013, पृ. 188–189

12. नीतीश कुमार, नरेन्द्र पाठकः विकसित बिहार की खोज, प्रभात प्रकाशन ,पटना, 2014 पृ. 254–255

13. महेश्वरी, एस. आरः एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस इन इंडिया, मैकमिलन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003, पृ. 178–179

14. बावा, नूरजहाँः ब्यूरोक्रेसी इन नेशनल बिल्डिंग एंड डेवलॅपमेंटः अ फिफ्टी इयर प्रोफाइल, द इण्डियन जर्नरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,जुलाई–सितंबर,1997

15 बिहार राज्य, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019–2020

16 अमरजीत झा (2021) ''बिहार : एक खोज (अतीत से वर्तमान)'' ,बिहार हिन्दी ग्रन्थालय, पटना, पृ. संख्या 13

कुसूम कुमारी
शोद्यार्थी
मधेपुरा विश्वविद्यालय, मधेपुरा